[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना संख्या 79 /2020- सीमाशुल्क (गै.टै.)

नयी दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त, 2020

सा.का.नि (अ)--------- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 47 की उपधारा (1) के परंतुक और धारा 156 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, आयात शुल्क आस्थगित भुगतान नियमावली, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा: -

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ:**

(1) इन नियमो को आयात शुल्क का आस्थगित भुगतान (संशोधन) नियमावली, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. आयात शुल्क आस्थगित भुगतान नियमावली, 2016 में नियम 4 को निरक्षित किया जाएगा।

3. नियम 5 से 8 को अब क्रमश: नियम 4 से 7 माना जाएगा।

[फा. स. 450/81/2016- सीमाशुल्क IV]

आर. आनंद

(आनंद राधाकृष्णन)

उप सचिव (सीमाशुल्क)

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना संख्या 134/2016- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 2 नवम्बर, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि 1037 (अ) , दिनांक 2 नवम्बर, 2016 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमे अंतिम बार अधिसूचना संख्या 28/2017- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 31 मार्च, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि 321 (अ) , दिनांक 31 मार्च, 2017, के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।